

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक—कम्प्यूटर—**760**

/ 2016–17 / दिनांक लखनऊ

|८ नवम्बर, 2016

समस्त जनपदीय एंव क्षेत्रीय अधिकारी,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना के माध्यम से आनलाइन लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा डी०बी०टी० प्रक्रिया से सम्बन्धित कृपया पार्श्वाकित पत्रों का अवलोकन करें।

- 1.पत्रांक—कम्प्यूटर 139 दिनांक 02 जून 2015
- 2.पृष्ठांकन कम्प्यूटर 460—465 दिनांक 31 मार्च 2016
- 3.पत्रांक—कम्प्यूटर 467 दिनांक 07 अप्रैल 2016
- 4.पत्रांक—कम्प्यूटर 614 दिनांक 15 जुलाई 2016
- 5.पृष्ठांकन —कम्प्यूटर 615 दिनांक 15 जुलाई 2016
- 6.पत्रांक—कम्प्यूटर 713 दिनांक 29 सितम्बर 2016

आप भली भाँति अवगत हैं कि कृषि विभाग में आनलाइन लाभार्थीयों के चयन तथा लाभ वितरण हेतु पारदर्शी किसान सेवा योजना कियान्वित की जा रही है। इसके लिये शासनादेश संख्या—811/12—3—2014—100(61) / 2012 दिनांक 23.07.2014 द्वारा दिशा निर्देश

जारी किये गये हैं। निदेशालय रत्तर से भी समय समय पर आयोजित बैठकों के अतिरिक्त पार्श्वाकित पत्रों के माध्यम से भी निर्देश दिये जाते रहे हैं। सभी सम्बन्धित शासनादेश एंव परिपत्र पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल www.upagriculture.com पर भी उपलब्ध हैं।

खेद है कि लगातार निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त शासनादेश संख्या—811/12—3—2014—100(61)/ 2012 दिनांक 23.07.2014 तथा विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों का पालन कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में पारदर्शी लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा आनलाइन लाभ वितरण हेतु नहीं किया जा रहा है।

आप इस बात से भी भली भाँति अवगत हैं कि जिन केन्द्र पोषित योजनाओं में डी०बी०टी० नहीं किया जायेगा उनमें आगामी वित्तीय वर्ष में कोई भी केन्द्रीय सहायता प्रदेश को नहीं प्राप्त होगी। इन सबके विपरीत कुछ योजनाओं एंव कुछ मदों में ही पारदर्शी लाभार्थी चयन प्रक्रिया को अपनाते हुये डी०बी०टी० करना और कुछ को छोड़ देना अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः आपको अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार कृषि विभाग की सभी योजनाओं में “पहले पंजीकरण करओ, पहले लाभ पाओ” के सिद्धान्त पर आनलाइन लाभार्थी चयन करते हुये डी०बी०टी० के माध्यम से लाभ वितरण सुनिश्चित करायें। ऐसा न करने पर माना जायेगा कि आप शासन की पारदर्शिता की नीति का उल्लंघन करते हुये अपने स्तर से शासनादेश की निजी व्याख्या करते हुये मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। कृपया इस प्रकार का कृत्य न करें, अन्यथा विवश होकर आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(ज्ञान सिंह)

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-कम्प्यूटर- ७६० / लखनऊ/ 2016-17/ तददिनांक १५/११/१६
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त योजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश से कि वे अपने नियंत्रणाधीन योजनाओं में सन्दर्भित शासनादेश में दी गयी पारदर्शी लाभार्थी चयन प्रक्रिया का पालन कराते हुए किसानों के बैंक खाते में सीधे लाभ का हस्तान्तरण डी०बी०टी० के माध्यम से सुनिश्चित करायें। जो जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी इसका पालन नहीं करता है उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ कि वे अपने मण्डल में उक्त शासनादेश/निर्देशों का पालन करायें।
3. प्रमुख सचिव(कृषि), उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

(ज्ञान सिंह)

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।